का अन्य कोई रास्ता नहीं दर्शित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। प्रार्थी अपने खेत के रास्ते बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 को रास्ते की भूमि फर्द मौका अनुसार 90 फुट (27.44 मीटर) व 5 मीटर चौडा की प्रतिकर राशि अदा करनें को तैयार है। प्रार्थी द्वारा रोही पुन्दलसर की सिचित भूमि की डीएलसी का दस्तावेज प्रस्तुत किया है।

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने मौखिक बहस का निवेदन किया। प्रार्थी के खेत में आने जाने का रास्ता अप्रार्थी के खेत में से नही रहा है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व नक्शा में फर्द मौका रिपोर्ट व प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 67 में आने जाने का कोई मार्ग राजस्व अक्स में दर्ज नही है। प्रार्थी ने अपने खेत में आने जाने का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नंबर 70 जो कि प्रार्थी के खेत से चिपते ही पूर्वी तरफ राजस्व नक्शा व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शित है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा व फर्द मौका रिपोर्ट तहसीलदार पर कोई आपति पेश नहीं की है ना ही इस संबंध में अपना कोई जवाब प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नंबर 70 के उतरी पश्चिमी कोने से प्रचलित रास्ता दर्शित है। जिसके पास ही प्रार्थी के खेत की उतरी पूर्वी सीमा लगती है। फर्द मौका रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की दूरी 90 फुट लिखी हुई है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने खेत में प्रवेश का रास्ता आवश्यक है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नजरी नक्शा प्रार्थी तथा फर्द मौका रिपोर्ट नजरी नक्शा में प्रार्थी के खेत का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नंबर 70 में से स्थित होना प्रतीत है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी को उक्त खेत में आवगमन का रास्ता नही देने पर यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश किया है। जो कि स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 70 रोही पुन्दलसर के राजस्व नक्शा में उतरी पश्चिमी कोने की सींव से 90 फुट (27.44 मीटर) लम्बा व 5 मीटर चौडा कुल रास्ते की भूमि 137.19 वर्गमीटर खेत खसरा नम्बर 67 की उतरी पूर्वी सीमा तक गैर मुमकिन रास्ता के रूप में लाल स्याही अंकन किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 70 में से 90 फुट (27.44 मीटर) लम्बा व 5 मीटर चौडा भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में ली जायगी जिसका डी.एल.सी रेट से प्रतिकर राशि प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 01 को दिलाया जाना न्यायोचित है। जिसकी कुल प्रतिकर राशि 5350/—रूपये बनती है। तहसीलदार उक्त प्रतिकर राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम निर्णय के 15 दिवस में अप्रार्थी संख्या 2 को प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 70 में से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का अंकन आदेशानुसार [illegible] में अमल दरामद करें।

आदेश आज दिनांक 12.7.2022 को मेरे [illegible] इजलास लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से [illegible] बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 18:01:52 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
डूंगरगढ़ (बीकानेर)